



राजस्थान-सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141-2224878  
एफ04 (278)एमएनजेवाई / सामान्य पत्रावली / 2016-17 / 922 ई-मेल: [rnscomniv@gmail.com](mailto:rnscomniv@gmail.com)  
दिनांक 13/11/16

समस्त संयुक्त निदेशक, जौन  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

विषय:- मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना अन्तर्गत कार्मिकों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना अन्तर्गत सिंविदा / प्लेसमेन्ट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का संबंधित एजेंसियों द्वारा किये जा रहे आर्थिक शोषण को रोक जाने से संबंधित आदेश क्र0 824 दि0 15.03.16 के द्वारा इन कार्मिकों को लगाये जाने हेतु सभी कार्यालयों को निर्देशित किया जा चुका है।

इस क्रम में निर्देशानुसार, योजनान्तर्गत पूर्व में न्यायालय प्रकरणों से सम्बन्धित कार्मिक, पूर्व में कार्यरत कार्मिक, रिक्त पदों, कार्यभार तथा नीडबेस को ध्यान में रखते हुये कार्मिकों को रखें जाने की सुनिश्चितता करें।

निदेशक(जन0 स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

कमांक: एफ04(278) / एमएनजेवाई / सामान्य पत्रावली / 2016-17 / 922 दिनांक: 13/11/16  
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन0 स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर